सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
193/2017	प्रा.पत्र 251-A RTA	18.04.2017	08.03.2018

रामेश्वरलाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सोमासी तहसील चूरू जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. फूलीदेवी धर्मपत्नी सांवताराम जाति जाट निवासिनी सोमासी तहसील चूरू जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डूडी वादी/अप्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री भीमनाथ सिद्ध प्रतिवादिनी सं. 1/प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

आदेश दिनांकः— 08.02.2018

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादिनी सं. 1 प्रार्थिनी फूलीदेवी की ओर से न्यायालय में दिनांक 29.11.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी., जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष द्वारा की बहस के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वादी ने उपरोक्त अनवान का दावा इस न्यायालय में राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जबकि राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में सिर्फ आवेदन पत्र ही प्रस्तुत करने का प्रावधान है, कोई दावा प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए वादी का यह दावा बैरड बाइ लॉ है और इसी आधार पर खारिज करने काबिल है। यह कि वादी ने अपने दावा में अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख. नं. 220/135 रोही मौजा सोमासी तह. चूरू जिसका रकबा 12 विश्वा बताया गया है और इस पर उसका हमेशा से रिहायशी घर बना होना बताया है और इस रिहायशी घर में आवागमन करने के लिए रास्ता की मांग कर इस रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में काट कर अंकित करवाने का दावा किया गया है। जबकि राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में कोई खातेदार काश्तकार अपनी जोत पर पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से रास्ते की मांग कर सकता है। जबकि वादी की भूमि न आज तक कभी काश्त हुई है और न वर्तमान में हो रही है। इसलिए वादी को यह दावा प्रस्तुत करने का कोई वाद हैतुक (कॉज ऑफ एक्शन) हासिल नहीं है। इस कारण यह दावा खारिज करने काबिल है। यह कि वादी ने अपना रिहायशी घर अपनी खातेदारी की भूमि ख. नं. 220/135 में हमेशा से बना हुआ होना व रिहायश करना बताया है। वादी का इस रिहायशी घर का मुख्य गेट

उपखण्ड अधिकारी

दक्षिण की तरफ हमेशा से खुलता है तथा उसके दक्षिणी गेट की तरफ भी खुर्रा बना है, जिससे हमेशा से आवागमन करता आया है और वर्तमान में भी हो रहा है। इसलिए वादी की इस वादगत रास्ते बाबत आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है और केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए दूसरे की जोत से रास्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह दावा चलने काबिल नहीं होने से खारिज करने योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादिनी सं. 1 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का यह दावा उपरोक्त कारणों से इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

प्रार्थिनी/प्रतिवादी सं. 1 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर वादी/अप्रार्थी ने अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 गलत व झूठ लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है, अस्वीकार की जाती है, वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत कार्यवाही की गई है उसमें दावा शब्द लिखने या प्रार्थना पत्र शब्द लिखने से किसी विधि का अथवा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है। माननीय न्यायालय को धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधि. के तहत कार्यवाही करनी है ऐसी सूरत में वादी का यह दावा किसी भी प्रकार से बैरड बाइ लॉ नहीं है विधिक प्रकिया व विधिक प्रावधानों के अनुरूप है व हर प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 सरासर गलत एवं झूठ लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नही है अस्वीकार की जाती है। वादी ने अपने दावा में अपनी खातेदारी कृषि भूमि ख. नं. 220/135 रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू में आवागमन हेतु रास्ता जो मौके पर कायम व चालू है, की बाबत दावा पेश किया है वादी द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि पर बने रिहायशी घर का दावा में उल्लेख करने से किसी को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है ऐसा कोई विधि में प्रावधान नहीं है व न ही ऐसा कोई प्रतिबन्ध है वादी प्रार्थी ख. नं. 220/135 रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू का खातेदार काश्तकार है जिसने राजस्थान काश्तकारी अधि. की धारा 251 ए में अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की जोत पर पहुंचने के लिए प्रतिवादिनी सं. 1 की जोत में से रास्ते की रिकॉर्ड में काटने की मांग की है। वादी की भूमि में सदैव से काश्त होती रही है व वर्तमान में भी काश्त हो रही है इसलिए वादी को यह दावा पेश करने का हर प्रकार से वाद हेतुक हासिल है। वाद वादी प्रार्थी विधिक रूप से सही पेश किया है भूमि कम हो या अधिक हो ऐसा कोई कानून में प्रतिबन्ध नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में वर्णित वादी का रिहायशी घर अपनी खातेदारी की भूमि ख. नं. 220/135 में बना होना, उसमें रिहायश करने का कथन स्वीकार है इस मद के शेष कथन सरासर गलत व झूठे लिखे हुए होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार किए जाते हैं। वादी के रिहायशी घर का मुख्य गेट उत्तर की तरफ खुलता है वादी का घर उत्तर मुखी है उत्तरी तरफ पक्का खुर्रा इन्टरलॉक का बना हुआ है जिससे वादी हमेशा से आवागमन करता रहा है वर्तमान में भी आवागमन हो रहा है। वादी का अपनी कृषि भूमि ख. नं. 220/135 में आवागमन का यही एक मात्र रहा है इसलिए वादी को इस वादगत रास्ते बाबत अति आवश्यकता है वादी द्वारा सुविधाजनक रास्ता की मांग न कर सदैव से चालू रहे एक मात्र मौके पर कायम रहे रास्ता की मांग की है इसलिए यह दावा हर प्रकार से स्वीकार किए जाने योग्य है। अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादिनी सं. 1 के पति सांवताराम ने दिनांक 09.08.1985 को कृषि भूमि ख.नं. 135 रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू संयुक्त रूप से खरीद की थी क्रय करने से लेकर आज तक उक्त भूमि कृषि भूमि ही है

उपखण्ड अधिकारी
चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

जिस पर काश्त होती रही है काश्त की भूमि पर रिहायशी घर बना लेने से सम्पूर्ण भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं हो जाती है वादी ने दावा की मद संख्या 5 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादी का अपनी कृषि भूमि ख.नं. 220/135 में आवागमन का रास्ता प्रतिवादी सं. 1 की भूमि ख.नं. 281/133 रोही मौजा सोमासी में से सदैव से रहा है वादी के विरूद्ध इसी रास्ता की बाबत प्रतिवादिनी सं. 1 ने फूलीदेवी बनाम रामेश्वरलाल वगैरा वादी की खातेदारी का कब्जा काश्त की भूमि ख.नं. 220/135 बता कर श्रीमान् जी के न्यायालय में दावा पेश कर रखा है जो जेरकार है वादी के द्वारा भी एक दावा अनवानी रामेश्वरलाल बनाम सांवताराम इसी रास्ता की बाबत पेश कर रखा है जो जेरकार है। इन सब से यह प्रमाणित है कि वादी प्रार्थी ने दावा अपनी कृषि भूमि ख.नं. 220/135 में आवागमन हेतु रहे रास्ता की बाबत पेश किया है प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा उक्त रास्ता रूकवाने का दावा पेश किया है। वादी का वाद खेत के रास्ता का है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादिनी सं. 1 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में प्रार्थी/प्रतिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी ने धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी प्लीडिंग व रिलीफ दावे की है परन्तु धारा 251 ए में दावा लाने का कोई प्रोविजन नहीं है। शैड्यूल III आरटीए के अनुसार इसमें प्रार्थना पत्र की कार्यवाही चलेगी जबकि प्रार्थी ने धारा 251 ए में दावा प्रस्तुत किया है। धारा 251 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी कृषि भूमि में जाने के लिए आवेदन ला सकता है जबकि प्रार्थी अपने रिहायशी घर तक पहुंचने के लिए रास्ता चाह रहा है। दावा की मद सं. 9 देखें, प्रार्थी को कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं है। इनको यदि अपने रिहायशी घर के लिए रास्ता चाहिए तो इन्हें पंचायत में अपना पक्ष रखना चाहिए। धारा 251 ए के तहत रिहायशी घर के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः दावा maintainable नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि हमने प्रकरण धारा 251 ए आरटीए के तहत पेश किया है। यदि दावा शब्द लिख दिया तो प्रार्थना पत्र में ही लेवें। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कहीं नहीं लिखा कि मात्र दावा शब्द लिख देने से उसकी प्रकृति बदलेगी। इसलिए इस पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होते। वादगत कृषि भूमि में मेरी ढाणी बनी हुई है, कृषि भूमि में घर बना कर रहता हूं। मेरा खेत आबादी में नहीं है जो पंचायत से रास्ता चाहा जाये। मुझे अपनी कृषि भूमि के लिए रास्ता चाहिए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी ने पुनः कथन किया कि दावा शब्द लिखने से ही सब कुछ होता है। दावा व प्रार्थना पत्र की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है। इनको कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, रास्ते के लिए दावा नहीं ला सकते। इसलिए cause of action arise नहीं होने तथा विधिक प्रावधानों के मुताबिक नहीं होने से barred by law होने से इस प्रकरण पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का भी अवलोकन किया गया। वादी/अप्रार्थी ने प्रकरण की प्लीडिंग को दावा के अनुसार ही लिखा है। *अप्रार्थी/वादी ने दावा में अपनी कृषि भूमि व रिहायशी घर के लिए हमेशा से रास्ता प्रतिवादी सं.*

उपखण्ड अधिकारी

1 की खातेदारी कृषि भूमि में से होना बताते हुए दावा की अन्तिम मद अनुतोष क में अपनी कृषि भूमि तादादी 12 विश्वा जिसमें उसका रिहायशी घर बना हुआ है, इस कृषि भूमि व उक्त रिहायशी घर तक रास्ता प्रार्थी/प्रतिवादिनी सं. 1 के खातेदारी खेत में से कटवाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब में वादी के दावा में अंकित उक्त तथ्यों से इन्कार करते हुए अंकित किया है कि वादी की भूमि का रकबा मात्र 12 विश्वा है जिस पर हमेशा से उसका रिहायशी घर बना हुआ है। इसलिए इस भूमि पर कृषि के लिए कोई रकबा नहीं है। विधिक प्रावधानों के विपरीत दावा पेश किया गया है। वादी के रिहायशी घर में आवागमन के लिए दक्षिण की तरफ से रास्ता हमेशा से रहा है। वादी के घर का मुख्य गेट दक्षिण की तरफ है। इसी गेट के दक्षिणी तरफ से आंगनबाड़ी केन्द्र, भैरूंजी का मन्दिर व सामुदायिक भवन के पश्चिमी तरफ 12 फुट चौड़ा रास्ता है, जिस पर खुर्रा बना हुआ है जिससे वादी आवागमन करता रहा है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया जिसमें प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अपनी कृषि जोत में पहुंचने के लिए किसी दूसरे खातेदार की कृषि भूमि में से रास्ते की मांग कर सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अप्रार्थी ने यह प्रकरण धारा 251 ए के तहत पेश किया है परन्तु दावा की तरह लिखकर पेश किया है। इस प्रकरण की प्लीडिंग एवं चाहा गया अनुतोष दावा की तरह ही अंकित किया गया है जबकि धारा 251 ए के तहत केवल प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया जाना होता है ना कि दावा। हालांकि न्यायालय द्वारा इसे प्रार्थना पत्र के रूप में ही दर्ज किया है परन्तु वादी/अप्रार्थी ने अपनी प्लीडिंग में तकनीकी त्रुटि अवश्य की है। प्रार्थना पत्र के जवाब में भी बार-बार दावा एवं वादी व प्रतिवादी शब्दों का ही अंकन किया गया है। किसी भी प्रकरण में पक्षकारों द्वारा चाहा गया अनुतोष उनके लिखित कथनों के आधार पर ही दिया जाना होता है। इसलिए लिखित कथन किसी भी प्रकरण की प्रकृति भी निर्धारित करते हैं। दावा एवं प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं कार्यवाही दोनों भिन्न-भिन्न होती हैं। दावा की कार्यवाही विस्तृत एवं प्रार्थना पत्र की कार्यवाही संक्षिप्त होती है। उक्त प्रकरण में न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर निर्णय करना है जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को वाद हैतुक नहीं होने तथा प्रस्तुत प्रकरण विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज करने का निवेदन किया है। पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित है कि वादी की खातेदारी भूमि मात्र 12 विश्वा है, जिस पर हमेशा से उसका आवासीय घर बना हुआ है जिसका मुख्य गेट दक्षिण में खुलता है तथा आने जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता इसी गेट के सामने से आंगनबाड़ी केन्द्र, भैरूंजी का मन्दिर व सामुदायिक भवन के पश्चिमी तरफ है, जिस पर खुर्रा बना हुआ है जिससे वादी आवागमन करता रहा है। उक्त रास्ता मौके पर चालू है। इसी तरफ से वादी ने विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। इस प्रकार से जिस कृषि भूमि व आवासीय घर के लिए रास्ता वादी चाहता है उसका रास्ता पहले से ही मौजूद है जिस पर खुर्रा भी बना हुआ है। जहां पहले से ही खातेदार को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ता मौजूद हो वहां अन्य सुविधाजनक रास्ते की मांग करना विधिक प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकरण में वादी की कृषि भूमि मात्र 12 विश्वा है जिस पर उसका आवासीय मकान हमेशा से बना हुआ है जिससे यह भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर कृषि योग्य रकबा मौजूद नहीं है तथा ना ही कभी काश्त होती है। धारा 251 ए के अनुसार किसी भी खातेदार को रास्ता तभी दिया जा सकता है जब खातेदार को उसकी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हो, रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक हो परन्तु इस प्रकरण में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में रास्ते के लिए आवश्यक तत्वों का अभाव

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

होना स्पष्ट है क्योंकि वादी अपने आवासीय घर के लिए रास्ता चाहता है, एक रास्ता पहले से खुर्रा निर्माण सहित मौजूद है, जिसको वह केवल गली बताता है। जहां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो वहां अन्य सुविधाजनक रास्ते की मांग किया जाना उचित प्रतीत नहीं है। वादी के दावा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी को वाद हैतुक भी प्राप्त नहीं होता क्योंकि वादी के घर के दक्षिण की तरफ मुख्य गेट के सामने 12 फुट चौडा रास्ता पहले से ही मौजूद है जिस पर खुर्रा निर्माण भी हो चुका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तथा चाहे गये रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं है इसलिए यह प्रकरण धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के तहत कवर नहीं होता जिससे इस प्रकरण पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं जिससे प्रार्थी प्रतिवादी सं. की ओर से पेश प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादिनी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर वादी की ओर से पेश मूल दावा/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू